

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवकाश सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

2020 September

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो...
 2. वर्तमान धारित पद...
 3. वर्तमान वेतन...
 अगली वेतनवृद्धि की तारीख...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Rohaspaal	House	—	₹ 50,000	Self	Rohaspaal with land	—	—

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 * ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्थ में लागू मूल्य बताया जाए।
 ** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 *** मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में परकीय नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पोषण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत भूजमा उद्योगिकारता से मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या क्लेम पर होने द्वारा धारित समस्त भूजमा सम्पत्ति के ब्योरे दें।
 शासकीय फार्म-14-2-2001-5,000.

हस्ताक्षर...
 नाम: Rohaspaal
 पद: Shopkeeper
 विभाग: M.P. State Transport
 Bhopal